तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
25-2-2010	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. सतत ~~मय / अवकाश पर~~ अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दि० 13-3-2010 को पेश हो। [signature] रीडर	
13-3-2010	वकील प्रार्थी व लैण्डहोल्डर के प्रतिनिधि उप०। न.ट. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2018	10.8.2018	13.3.2020

सुरजन पुत्र सोन्या, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील गंगापुर सिटी ---प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री तरूण शर्मा,एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0नं0 27 रकबा 18 बीघा 18 विस्वा ग्राम टोंटोलाई में प्रार्थी के पिता सोन्या, मनफूल व सुगन की खातेदारी की भूमि रही है। सुगन लाऔलाद फौत हो गया तथा सुगन की भूमि प्रार्थी के पिता सोन्या व प्रार्थी के चाचा मनफूल के नाम दर्ज हो गई। सोन्या की मृत्यु हो चुकी है तथा उसका एकमात्र वारिस प्रार्थी सुरजन है। भूमि साबिक ख0नं0 27 का रकबा 18 बीघा 18 विस्वा था जिसके वर्तमान ख0नं0 321 रकबा 0.73 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 324 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 326 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 327 रकबा 0.91 है0 कुल रकबा 4.13 है0 बने हैं। भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने गत के मुकाबले प्रार्थी को कम रकबा दिया है। प्रार्थी की भूमि में से 59 एयर भूमि कम कर दी है तथा प्रार्थी की कम की गई भूमि का ख0नं0 310 रकबा 51 एयर बनाकर उसे सिवायचक दर्ज कर दिया है। यह प्रार्थी की भूमि है जो पारिवारिक बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में आई है। इस गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहता है। दिनांक 18.7.2018 को पटवारी हलका ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि यह भूमि सिवाचक है, इसे छोड दो अन्यथा धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया जावेगा एवं वह भूमि किसी अन्य को अलोट कर दी जावेगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताकैसला वादपत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 310 रकबा 0.52 है0 ग्राम टोंटोलाई के उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को किसी को अलोट नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी ने ख0नं0 310 रकबा 0.51 है0 सिवायचक भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि होना बताया है जो गलत है। हाल ख0नं0 310 साबिक ख0नं0 28 से बना है एवं साबिक ख0नं0 28 प्रार्थी की खातेदारी में नहीं रहा है। भूमि सिवायचक है एवं सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही करने का अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031, फोटोकोपी नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता सरकारी, खाता प्रार्थी सुरजन, फोटोकोपी नकल हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल खसरा परिवर्तनशील, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि रही है जिसे भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। भूमि सिवायचक होने के कारण अब अप्रार्थी प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाह रहा है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

लैण्ड होल्डर ने अपनी बहस में कहा कि भूमि सिवायचक दर्ज है जिस पर कब्जा करने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है। प्रार्थी भूमि पर कब्जा करता है तो वह अवैध है इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है। प्रार्थी ने गलत आधार पर यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में यह कहा कि भूमि ख0नं0 310 रकबा 0.52 है0 प्रार्थी की भूमि साबिक ख0नं0 27 रकबा 18 बीघा 18 विस्वा का हिस्सा है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है। भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए प्रार्थी ने साबिक व हाल का पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है एवं कब्जे का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी

उप जिला कलेक्टर
भागलपुर सिटी (स०मा०)

की ओर से प्रस्तुत की गई नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0नं0 310 रकबा 0.52 है0 साबिक ख0नं0 28 मि0 से बना है। भूमि सिवायचक होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने का अधिकार रखता हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जा के अभाव में एवं अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.26 16:32:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: